न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 205 / 2025 (GCMS : 2025/ 321)

1. **गुरजीत सिंह** पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा (4 एसडीपी) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **गुरमीत सिंह** पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा (4 एसडीपी) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. **गुरसेवक सिंह** पुत्र श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एसडीपी ढाणी (सुन्दरपुरा 4 एसडीपी) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **करनैल सिंह** पुत्र श्री जीवण सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा (4एसडीपी) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **तहसीलददार राजस्व सादुलशहर** तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेदश छाबड़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन था कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में अप्रार्थी संख्या 1 करनैल सिंह ने प्रार्थना पेश किया है कि कृषि भूमि चक नम्बर 3 एसडीपी के मुरब्बा नम्बर 28 व 29 में है जिसमें आने जाने के लिए चक नम्बर 3 एसडीपी तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 46, किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में गैर मुमकिन स्वीकृत शुदा रास्ता चल रहा है, जो मौके पर चालू है जिसमें कुछ पेड खडे होने के कारण गुरजीत सिंह वगै. ने ऐतराज पेश किया उक्त पेड़ जो रास्ता की भूमि मे है जिसमें गुरजीत सिंह वगै. का कोई हित नहीं है, गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का मालिक लैण्ड होल्डर तहसीलदार होता है प्रार्थीगण ने जो पेड़ रास्ता से हटाने थे, उसके ऐवज में अपने खेत में दोगुना पेड़ लगा दिये थे लेकिन अभी तक रास्ते की भूमि में पेड़ नहीं हटाये गये क्योंकि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने में रास्ता में लगे पेड़ों के कारण कठिनाई हो रही है, ट्रैक्टर ट्राली नहीं निकल रहे है जिससे प्रार्थी अपने खेत में समुचित बिजाई नहीं कर पाता, जिसमें [illegible] नुकसान हो रहा है, के संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त प्रकरण [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पेश किया गया है तथा [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव होने के कारण छोटी छोटी तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा यह कहा गया कि मैने तो एसडीएम से बात कर ली है चक 3 एसडीपी के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15,

Manju
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

16, 25 व मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता की भूमि में पेड़ हटाकर व उसके उपरान्त नीलामी करवाने के आदेश पारित करवा लेगा जिससे अप्रार्थीगण को आशंका हो चुकी है कि उक्त प्रकरण में फैसला अप्रार्थी संख्या 01 के हक में राजनैतिक दबाव के चलते करवा लेगा, जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने एक दावा सिविल न्यायाधीश, हनुमानगढ़ में पेश किया हुआ है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2019 को यथास्थिति का आदेश दिया है, जिसमें आज तक यथास्थिति के आदेश प्रभावी है लेकिन इस आदेश के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और जल्दबाजी में मिली भगती से पेड़ हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उक्त रास्ता में अप्रार्थी की को कोई कृषि भूमि नहीं है केवल मात्र रंजिश की वजह से एकतरफा तौर पर राजनैतिक दबाव डालकर अनुचित कार्यवाही अमल में लाई जा रही हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने ऐलानिया कहा है कि वह पीठासीन अधिकारी से उक्त पत्रावली में आदेश अपने पक्ष में करवा लेगे इसलिए न्यायहित में पत्रावली को अन्य किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष करनैल सिंह की ओर से आवेदन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07.01.2022 के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को दोनों पक्षों को सुनकर पेड़ हटाने के हेतु आदेश दिनांक 07.01.2022 को दिये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार की मंशा अनुरूप रास्ता प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के आदेश होने के कारण एवं माननीय राजस्व मंडल के निर्देश एवं प्रकरण पुराना होने के फलस्वरूप पेशियां नियत की जा रही है न की राजनैतिक दबाव के। रास्ता के प्रकरण में लम्बी तारीख ही दी जायेगी, यह कहीं परिभाषित नहीं है एवं छोटी तारीख नहीं दी जा सकती, यह भी परिभाषित नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि गुरजीत सिंह की ओर से अभी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर रखा है जिस पर पहले बहस सुनी जाकर निर्णय पारित होना है एवं निर्णय विपरीत होने पर अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित है। महज प्रकरण का फैसला अपने हक में करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

एवं अधीनस्थ न्यायालय पर अनुचित दबाव बनाने के आश्य से एवं आधारहीन तथ्यों पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि सिविल न्यायालय हनुमानगढ़ में स्थगन आदेश का अवलोकन से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि स्थगन आदेश मौजूदा विवाद के संदर्भ में दीवानी न्यायालय का नही है लेकिन प्रार्थीगण तथ्यों को तोड़ मरोड़कर एवं प्रकरण को देरी करने के आश्य से अविधिक कार्यवाही करते रहे है और मौजूदा आवेदन पत्र भी, उसी देरी करने की कार्यवाही का हिस्सा है, इसलिए आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण ने यह प्रकरण देरी करने के आश्य से बिना किसी ठोस आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनी व वाकेआती बिन्दुओं पर सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र क्यास लगाया जा रहा है कि अधिकारी राजनैतिक दबाव मे है। सामान्य आरापों के आधार पर प्रकरण को जो कि पूर्व से ही सात साल से चल रहा है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य हैं

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी करनैल सिंह आदि द्वारा दिनांक 04.09.2019 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मुरब्बा नम्बर 45, 46 के रास्ते में बाधा बने पेड़ो को हटाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जो वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशों की पालना में विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी गुरजीत सिंह वगै. द्वारा यह मुन्त[illegible] पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक [illegible] होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिले[illegible] केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिक[illegible]र राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:54 IST
Reason: SelfAttested